

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (परिचालन)
हाजीपुर

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505

दिनांक- 01.08.23

वरीय मण्डल परिचालन प्रबंधक
धनबाद, दानापुर, डीडियू, सोनपुर, समस्तीपुर

विषय- विशेष परिस्थिति में रिले रूम /बैटरी रूम /आई.पी.एस रूम /ओ.एफ.सी को खोलने
के संबंध में।

विशेष परिस्थिति (जैसे आग लगने आदि) में रिले रूम /बैटरी रूम /आई.पी.एस रूम /ओ.एफ.सी हट
जहाँ डबल लॉक लगे हैं, को खोलने के संबंध में मुख्य सिगनल इंजीनियर/पू.म.रे और मुख्य परिचालन
प्रबंधक (सा.)पू.म.रे द्वारा जारी संयुक्त कार्यविधि आदेश संलग्न हैं ।

सभी सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :-संदर्भित पत्र

राजपति झा
01.08.23
(राजपति झा)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक सामान्य
हाजीपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के निजी सचिव-1 को प्र.मु.परि.प्रबंधक महोदय के सूचनार्थ ।

पूर्व मध्य रेल

संयुक्त कार्य आदेश

विषय-विशेष परिस्थिति (जैसे आग लगना आदि) में रिले रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस. रूम/ओ.एफ.सी.हट जहां पर लगे डबल लॉक (जहाँ लगे हैं) को खोलने के संबंध में।

संदर्भ- प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन सं. 29 दिनांक 19/05/2023, फाईल संख्या- ECR-HQ05nT(GENL)/31/2020

उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि:-

1. रिले-रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस. रूम/ओ.एफ.सी. हट जहां पर भी डबल लॉक लगे हैं, वहाँ की एक चाबी स्टेशन मास्टर के पास एवं दूसरी चाबी एस एंड टी कर्मचारी के पास रहती है।
2. संपूर्ण सावधानियों के बाद भी यदि किसी कारण से इन स्थानों/स्थान में आग लगने की घटना घटित होती है एवं उस समय एस एंड टी कर्मचारी स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है तो वर्तमान परिस्थितियों में फायर अलार्म के द्वारा आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद भी एक चाबी एस एंड टी कर्मचारी के पास रहने के कारण रिले-रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस.रूम/ओ.एफ.सी.हट का दरवाजा परिचालन कर्मचारी के द्वारा नहीं खोला जा सकता है। परिणामस्वरूप परिचालन कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति से निपटने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है।

“ रिले-रूम/बैटरी रूम/आई.पी.एस. रूम/ओ.एफ.सी.हट की डुप्लिकेट नामांकित चाबियों (परिचालन एवं एस एंड टी) का एक सेट बॉक्स में सील करके रखी जाये। यह बॉक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में रखा जायेगा। इन स्थानों/स्थान पर आग लगने की घटना के समय एवं एस एंड टी कर्मचारी की अनुपलब्धता होने पर स्टेशन मास्टर डुप्लिकेट चाबियों का सेट बॉक्स से निकालकर संबंधित स्थान का दरवाजा तुरंत खोलने का प्रबंध करेगा एवं आग बुझाने हेतु कार्यवाही करेगा। साथ में ही सभी संबंधितों को इस घटना की सूचना देगा। ” जब कभी भी इन डुप्लिकेट चाबियों का उपयोग किया जाता है तो इसका विवरण एक रजिस्टर में लिखा जायेगा।

फाईल संख्या- ECR-HQ05nT(GENL)/31/2020

दिनांक 05/06/2023

1906
05/06/23

(बी. के. दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य
पूमरे/हाजीपुर

1906
05/06/23
(आर.एल. यादव)
मुख्य संकेत इंजीनियर
पूमरे/हाजीपुर